

संख्याक-01

गूल वाव में डिक्री (आवेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या:- /2020

कृष्णा पत्नि मनफूल राम जाति ओड निवासी अलीपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादिया

बनाम

1. फूलाराम पुत्र रामकिशन जाति ओड निवासी अलीपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. भोलाराम पुत्र रामकिशन जाति ओड निवासी अलीपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,  
92 ए, 188 आरटीए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल क्लर्क रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुन्दन लाल चुघ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मोहित चुघ वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 3 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादिया चक न0 19 के एस डी की खाता संख्या 39/38 की प0न0 83/104 मु0न0 11 किला न0 8, 13 की 0.508 हैक्टर व खाता संख्या 48/44 की प0न0 83/104 मु0न0 11 किला न0 3, 4 की 0.508 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार है। वादिया का नाम उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 फूलाराम व प्रतिवादी संख्या 2 भोलाराम का नाम कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री में वर्णित भूमि पर बैंक रहन की स्थिती में बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 09/09/2020 को जारी की गई।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सादुलशहर